तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या 13/2017 बनाम सरकार बनाम शंकर भाट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.11.2025	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि गैरसायल के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण पुराने 02 आपराधिक प्रकरण, पुलिस थाना औद्यौगिक क्षेत्र में दर्ज होने से प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनों प्रकरण वर्ष 2008 व वर्ष 2009 के है, जो कि उसी वर्ष निष्तारित हो गये थे। प्रकरण लम्बे समय से गैरसायल की तलबी हेतु विचाराधीन है, जिसमें प्राप्त रिपोर्ट अनुसार गैरसालय वर्तमान में गत 5–6 वर्ष से अपने मूल गांव बगर बड़ा बास पीएस देवगढ़ जिला राजसमन्द में निवासरत है। चूंकि प्रकरण वर्ष 2017 से विचाराधीन है और गैरसालय के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण भी वर्ष 2008 एवं 2009 के निर्णीत है। उसके पश्चात् गैरसायल किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया हो, ऐसी कोई रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा पेश नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त गैरसालय की नेकचलनी की रिपोर्ट पीएस देवगढ़ से चाही गई, जिसमें प्राप्त रिपोर्ट अनुसार गैरसायल के विरूद्ध थाना देवगढ़ में पूर्व में कोई सजायाबी रिकॉर्ड नहीं होना पाया गया। अर्थात् वर्ष 2009 के पश्चात् गैरसालय के विरूद्ध कोई आपराधिक कृत्य का रिकॉर्ड नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणास्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति प्रार्थी को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला मजिस्ट्रेट, पाली अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)	